न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 62/2021 बउनवानी लाली देवी गुर्जर बनाम लो.सू.अधि.एवं प्र.अ. चुनाव अनुभाग
निवासी मिश्रा जी का मोहल्ला चौथ का बरवाडा — लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर

GCMS No-2021/183 — **on line No 32175280400l182**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
18.8.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं प्रभारी अधिकारी चुनाव अनुभाग की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 24.5.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र आरटीआई पोर्टल पर प्रेषित किया जो अति0 जिला कलेक्टर .सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ.2(108)सूकाअ/2021/903 दिनांक 26.5.2021 से लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी चुनाव अनुभाग को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:–

1. सवाईमाधोपुर जिलें मे पंचायती राज संस्थाओं के पंचायती राज चुनाव,2020 मे सरपंच पद हेतु चुनाव मे अभ्यर्थी द्वारा संतान संबंधित गलत घोषणा पत्र मे मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर उक्त अभ्यार्थी के विरूद्व किस नियम व किस आदेश के तहत किस अधिकारी के द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी। आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।
2. 1 मार्च,2020 से 24 मई,2021 तक आपको सीता पत्नि बसंतीलाल हाल सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर द्वारा पंचायत राज चुनाव,2020 मे ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा से सरपंच पद हेतु चुनाव के नामांकन फार्म में झूठा शपथ पत्र पेश करने व संतान संबंधी गलत तथ्य प्रस्तुत कर चुनाव लडने पर कार्यवाही करने हेतु जरिये डाक ईमेल राजस्थान सम्पर्क पोर्टल 181 पर प्राप्त परिवाद की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवावे।
3. उक्त सभी परिवादो के संबंध मे जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय सवाईमाधोपुर द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है उक्त परिवादों के संबंध में की गयी समस्त कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे क्योकि उक्त प्रकरण में स्वंय फरियादी है।
4. सवाईमाधोपुर जिलें मे पंचायती राज संस्था जैसे ग्राम पंचायत के सरपंच पद के चुनाव मे अभ्यर्थी द्वारा गलत घोषणा पत्र मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर को कार्यवाही का अधिकार है या नही। यदि कार्यवाही का अधिकारी है तो किस नियम व किस आदेश के तहत क्या कार्यवाही का अधिकार है प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर राजस्थान के पत्रांक एफ. 4(2)(1)/पंचा/रानिअ/03/ 502 दिनांक 29.3.2011 के आदेश जिसमे पंचायती राज संस्था के अभ्यार्थी द्वारा गलत घोषण पत्र/मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कार्यवाही करने के बारे के स्पष्ट उल्लेख किया है उक्त पत्र की आपको परिवाद के साथ जरिये डा[illegible]–मेल से प्राप्त हुई है या नही । यदि आपको प्राप्त हुई है जो आपके [illegible] की गयी है या नही । अगर कार्यवाही नही की [illegible] उक्त संबंध में मय जानकारी के प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।
6. उक्त प्रकरण के संबंध में कार्यवाही हेतु जिला कलेक्टर [illegible] जिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर को कार्यवाही हेतु प्राप्त परिवादो को पंचायत राज सस्थाओं के अधिकारी जैसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बीडीओ पंचायत समिति से कार्यवाही करवाने का अधिकार है प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।
7. सरपंच सीता ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा पर कार्यवाही हेतु आपको प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:43:50 IST
Reason: SelfAttested

परिवाद कब प्राप्त हुआ और कितने समय से कार्यवाही विचाराधीन है प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।

8. सरपंच सीता ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर के विरूद्व कार्यवाही हेतु आपको अब तक प्राप्त समस्त प्रकार के परिवादो की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे तथा उन सभी समस्त परिवादो मे आप द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी, कार्यवाही की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।

9. राजस्थान सम्पर्क पोर्टल 181 पर दर्ज परिवाद न 02210209394515 दिनांक 2.2. 2021 पर जो साढे तीन महिन से अधिक समय से लंबित है उक्त परिवाद जो आप द्वारा प्रभारी अधिकारी चुनाव अनुभाग मे विचाराधीन बताया गया है इस संबंध में अब तक की गयी कार्यवाही की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे। चूंकि उक्त परिवाद मेरे स्वंय से संबंधित है । उक्त संबंध में उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाडा द्वारा आपसे मांगे गये मार्गदर्शन मे आप द्वारा क्या मार्गदर्शन दिया गया प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी चुनाव अनुभाग एंव अति० जिला कलेक्टर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी चुनाव अनुभाग एंव अति० जिला कलेक्टर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी चुनाव अनुभाग की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/सू.का.अ./2020/940 दिनांक 3.8.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.5.2021 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 9 में चाही गयी सूचना उपजिला निर्वाचन अधिकारी के उक्त पत्र के माध्यम से अपीलान्ट को निशुल्क भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 24.5.2021 को आरटीआई पोर्टल पर प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1,2,3,4,5,7,8,9 की सूचना जरिये पत्रांक 940 दिनांक 3.8.2021 से अपीलान्ट को निःशुल्क उपलब्ध करवायी जा चुकी है। शेष बिन्दु संख्या 6 की सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर (आईटीआई अनुभाग) से कोई सूचना अपेक्षित नही [illegible] कारण सूचना उलपब्ध करवाया जाना आवश्यक नही है। इस प्रकार चाही [illegible] प्र०अ० चुनाव अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा [illegible] खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:43:50 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर